न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 07/2017

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. जितेन्द्र पुत्र रतनलाल जति सीरवी निवासी बेरा हनुमानसागर बरना रोड़ बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1. मोतीराम पुत्र जोगाराम जाति सीरवी निवासी बेरा हनुमानसागर बरना रोड़ तह0 बिलाडा जिला जोधपुर 2. भंवरलाल पुत्र मोतीराम 3. रतनलाल पुत्र मोतीराम 4. ओमप्रका"ा पुत्र मोतीराम 5. अनिल पुत्र रतनलाल सभी जातियान सीरवी निवासी बेरा हनुमानसागर बरना रोड़ बिलाडा तहसील बिलाडा 6. एस.बी.आई.शाखा बिलाडा 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा 8. अंकित चौधरी पुत्र भंवरलाल 9. आ"ाीष चौधरी पुत्र भंवरलाल जातियान सीरवी निवासीगण बरना रोड़ बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :— वादीगण की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1की ओर स श्री धीरज चौधरी/राजेन्द बोराणा एड0
प्रतिवादी संख्या 2से 5की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं उपस्थित
प्रतिवादी संख्या 7 स[illegible]रोकार
प्रतिवादी संख्या 8,9 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय   दिनांक :–

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक नम्बर 4 तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में वादी की पैतृक खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5973/2 रकबा 7 बीघा 10बिस्वा 10 बिस्वां"ाी आयी हुयी है। यह भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम जी की खातेदारी की है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की पैतृक अविभाजित भूमि है। वादी का सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम के हिस्से की भ्मि में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का बराबर का हिस्सा है। वादी के पिता रतनलाल का संयुक्त परिवार का सदस्य होने से तथा विवादग्रस्त भूमि पैतृक होने से घोषणा कराने का अधिकारी है। इसी प्रकार वादी के दादा मोतीराम जी का कुछ दिनों से मानसिक सन्तुलन खराब हो चुका ह। तथा आये दिन शराब एवं अफीम का सेवन करने के आदि हो चुके है तथा उनकी हठ बैठ भूमि तस्करों के साथ है, भूमि तस्कर वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 की न"ो की लत का नाजायज फायदा उठाकर वादी की जमीन हड़पना चाहते है एवं वो वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 को न"ाा करवाकर उनके नाम की खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 5973/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वां"ाी का बैचान, हस्तान्तरण करवा सकते है। इस उदे"य की पूर्ति के लिए भूमि तस्करों ने अभी एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम का अपहरण कर उसको बन्धक बना लिया आर प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम को प्रलोभन देकर व न"ाा करवा कर भूमि खसरा नम्बर 5973/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वां"ाी का बैचान इकरारनामा अपने नाम से दिनांक 16.12.2016 को निष्पादित करवा दिया, जिसकी जानकारी वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 3 को होने पर प्रतिवादी सं.3 ने दिनांक 11.01.2017 को भूमि तस्करों के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलाडा जिला जोधपुर के समक्ष फौजदारी परिवाद अन्तर्गत धारा 342,363,120बी. भारतीय दण्ड संहिता का पे"ा किया गया। इसी प्रकार मोतीराम जी के तीन पुत्र है जिनका मोताराम जी की खातेदारी की जमीन में बराबर का हिस्सा है। इस कारण प्रतिवादी संख्या1 मोतीराम जी को अकेले को भूमि खसरा नम्बर 5973/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वां"ाी के सम्पूर्ण भूमि तस्कर वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम जी का मानसिक सन्तुलन का नाजायज फायदा उठाकर तथा उनको न"ाा करवा कर एवं प्रलोभन देकर या दबाव डालकर उनके हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करवा सकते है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को विवादग्रस्त भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णनीय हानी होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा। वादी की आजीविका का एकमात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

साधन यही भूमि है। इसी प्रकार वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पोता होने से इस भूमि में उनका बराबर का अधिकार है, इस कारण वादी को इस भूमि को खातेदार घोषित करने के लिए यह दावा पे”ा करना पड़ रहा है। इसो प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम जी की खातेदारी की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस कारण वादी अपनी खातेदारी एवं हिस्से की भूमि को अलग कराने के लिए बंटवाडे का दावा पे”ा कर रहा है। इसी प्रकार वाद कारण विवादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि होने से तथा वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम जी को भूमि तस्कर कभी भी उनको न”ाा करा कर तथा उनका मानसिक सन्तुलन का नाजायज फायदा उठाकर उक्त विवादित भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करने की सम्भावना होने पर बमुकाम ग्राम बिलाडा चक संख्या 4 पैदा हुआ। जो निरन्तर जारी है। अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम बिलाडा चक संख्या 4 तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 5973/2 रकबा 7 बिघा 10 बिस्वा 10 बिस्वां”ाी में वादी को 1/4 वॉ हिस्से की भूमि में से 1/12 वॉ हिस्से का खातेदार का”तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार ग्राम बिलाडा चक संख्या 4 तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 5973/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वां”ाी का बाईमीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी के 1/4वॉ हिस्से में से 1/12 वॉ हिस्से की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे । इसी प्रकार प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से एवं बंट की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे एवं न ही अन्य किसी से करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 न जवाब दावा पे”ा किया तथा प्रतिवादीगण 5,8 व 9 ने भी जवाब दावा व काउण्टर क्लेम पे”ा किया लेकिन दिनांक 15.03.2021 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच राजीनामा हो गया । जो राजीनामा के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच आपसी समझाई”ा से एवं लोकहित की भावना से राजीनामा हो गया है। राजीनामा में यह तय किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 5973/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वां”ाी में से 5 बीघा भूमि वादी जितेन्द्र व प्रतिवादी संख्या 5 अनिल के संयुक्त बंट की रखी गयी है तथा शेष 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम के बंट की रखी गयी है। इसी राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 तथा प्रतिवादी संख्या 1 मोतीराम [illegible] का”तकारी की रखी जाना स्वीकार किया है। उक्त राजीनामा दिनांक 15.03.2021 को दोनों पक्षकारों को पढकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

सुनाया जाकर दोनों अधिवक्ता को उपस्थिती में हस्ताक्षर/अंगूष्ठ नि”ाान आदि कराकर राजीनामा को तस्दीक किया गया। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष आगे नहीं चलाने हेतु का पे”ा किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 8,9 की ओर स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत काउण्टर वाद को जरिये विड्रोवल खारीज करने हेतु का पे”ा किया गया। उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी की ओर से पे”ा किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष को जरिये विड्रोवल खारीज किया गया एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 8,9 द्वारा पे”ा किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत काउण्टर वाद को जरिये विड्रोवल खारीज किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच राजीनामा हो जाने के आधार पर वादी का दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है।

आदे”ा

ग्राम बिलाडा चक संख्या 4 तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 5973/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वां”ाी में से 5 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के संयुक्त खातेदारी का”तकारी की घोषित की जाती है तथा भूमि खसरा नम्बर 5973/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वां”ाी में से 2 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वां”ाी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का”तकारी की भूमि घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का”तकारी की घोषित भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के रहन रखी जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। माफिक निर्णय मय डिक्री पर्चा अनुसार तहसीलदार बिलाडा राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करें। पत्रावली फै”ाल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम** **प्रतिवादीगण**
1. जितेन्द्र पुत्र रतनलाल जति सीरवी निवासी बेरा हनुमानसागर बरना रोड़ बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर	1. मोतीराम पुत्र जोगाराम जाति सीरवी निवासी बेरा हनुमानसागर बरना रोड़ तह0 बिलाडा जिला जोधपुर 2. भंवरलाल पुत्र मोतीराम 3. रतनलाल पुत्र मोतीराम 4. ओमप्रका"ा पुत्र मोतीराम 5. अनिल पुत्र रतनलाल सभी जातियान सीरवी निवासी बेरा हनुमानसागर बरना रोड़ बिलाडा तहसील बिलाडा 6. एस.बी.आई.शाखा बिलाडा 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा 8. अंकित चौधरी पुत्र भवंरलाल 9. आ"ाीष चौधरी पुत्र भंवरलाल जातियान सीरवी निवासीगण बरना रोड़ बिलाड़ा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188,88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 07/2017

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री धीरज चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 376 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को [illegible] प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों [illegible] प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तलब कर [illegible] कार्यवाही कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर भिजवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:06:38 IST
Reason: SelfAttested